

FORM NO III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी अंराई

मुकाम अराई (अजमेर)

- गोविन्द वैष्णव पुत्र स्व. नन्दलाल उम्र 36 साल जाति वैष्णव निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अराई अजमेर हाल निवासी अजमेर राज. व अन्य। -प्रार्थीगण।

बनाम

- नाराज पत्नी कालुराम उम्र बालिग जाति माली निवासी ग्राम गोठियाना तहसील अराई जिला अजमेर राजस्थान व अन्य। -अप्रार्थीगण।

किस्म मुकदमा- धारा 212 राज0 का0 अधि01955

नंबर 31 / 2024

ऑनलाइन नंबर 2024 / 41

वकील प्रार्थी :- अशोक शर्मा

वकील अप्रार्थीगण.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/5/24	यह वादपत्र वादीगण की ओर से वकील वादी श्री अशोक शर्मा ने अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. 1955 के तहत पेश किया गया। वाद पत्र पर वकील वादी को सुना गया तथा पेश दस्तावेज का अवलोकन किया गया। प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादीगणों की तलबी जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन द्वारा की जाकर पत्रावली दिनांक 31/5/24 को पेश हो।  उपखण्ड अधिकारी अंराई	
31/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. सहाय चुनाव कार्य/सहकार्य/दौरे/अवकाश पर पत्रावली पूर्व अधीनस्थानुसार दिनांक 31/5/24 को पेश हुई।	
19/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। एचडीएम की समीक्षा के बाद वकील प्रार्थी दिनांक 19/7/24 को पत्रावली पेश की। वास्तु तलबी अन्य अधीनस्थानुसार पत्रावली 10/10/2024 को पेश हुई।  उपखण्ड अधिकारी अंराई (अजमेर)	
10/10/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित। P.O. सहाय चुनाव कार्य/सहकार्य/दौरे/अवकाश पर पत्रावली पूर्व अधीनस्थानुसार दिनांक 10/10/24 को पेश हुई।	

पत्रावली पेश हुई।  
 P.O. साहब चुनाव कार्य/राजकार्य/दौरे/अनुकाश  
 पर यश्वरे। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.....  
 दिनांक 27/12 को पेश हो।

7/11/25

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष कारण उप.।  
 .....  
 पत्रावली दिनांक 21/11/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी  
 अराई

21/12/25

पत्रावली पेश हुई आज.....  
 ..... की ओर से कार्य समाप्त रखा गया।  
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 9/12/25 को  
 पेश हो।

9/5/25

पत्रावली पेश हुई आज.....  
 .....  
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/6/25 को  
 पेश हो।

20/6/25

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष कारण उप.।  
 .....  
 पत्रावली दिनांक 29/6/25 को पेश हो

उपखण्ड अधिकारी  
 अराई

29/8/25

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष कारण उप.।  
 .....  
 पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 26/9/25 को पेश हो।

26/9/2025

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष कारण उप.।  
 पत्रावली दिनांक 14/11/25 से पेश हो।

14-11-25

पत्रावली पेश हुई। वकील पक्ष कारण उप.।  
 दि. 13.8.25 से दिनांक 14/11/25 तक पत्रावली  
 पत्र 212 वकील पक्ष कारण उप.।  
 पेश हो।

पखण्ड  
 दावा अन्तर्गत  
 1/प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा अन्तर्गत धारा  
 नं. 1 के द्वारा पेश किया गया है।  
 विवरण  
 क्या वाद पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है?  
 क्या वाद पत्र के साथ पर्याप्त मुद्रा है?  
 क्या उचित संख्या में तलब वाद पत्र प्रति मच कोर्ट है?  
 क्या वाद के पक्षकार/अंतर्गत  
 क्या वाद करते हैं?